

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 13/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1- श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री किशनगोपाल उम्र 38 वर्ष जाति राठोर निवासी अमलसरा जाटो का मोहल्ला पोस्ट पलायथा तहसील अन्ता, मूल निवास पता 64 महावीर नगर-3 दादाबाडी कोटा 324009 (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) मैसर्स शुभम सोपटी, मैला ग्राउण्ड बारां (अस्थाई दुकान) मो0 9672403131

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)

2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 11.09.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.10.2018 को मैसर्स शुभम सोपटी, मैला ग्राउण्ड बारां (अस्थाई दुकान) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री किशनगोपाल राठोर (मौके पर मौजूद विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 01.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/201/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारां के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ सोपटी आम जनता को विक्रय की जा रही थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ सोपटी में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य वस्तु **सोपटी** वास्ते नमूना जांच हेतु 1200 ग्राम खरीदी, जिसकी कीमत श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री किशनगोपाल राठोर को 120/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **सोपटी 1200 ग्राम** को चार भाग में कर चार खाली साफ एवं सुखी कौंच की शिशियो में भरकर प्रत्येक शिशियो में परीरक्षक फार्मलीन की 36-36 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक कौंच शीशी पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-855 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग कागज में मूल पैकेट कि छायाप्रति के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-855 नियमानुसार चारो नमूना शीशीयों पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री किशनगोपाल राठोर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/196 दिनांक 5.11.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 577/FSSA/Kota /Act/2018/626 दिनांक 26.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **सोपटी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स शुभम सोपटी, मैला ग्राउण्ड बारों (अस्थाई दुकान) से पत्रांक 204 दिनांक 14.11.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स शुभम सोपटी द्वारा कोई प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 09.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ सोपटी 1200 ग्राम को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच में अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी स्वयं द्वारा कहा गया कि मैं मेले में सोपटी की दुकान लगाता हूँ और अच्छी क्वालिटी की सोपटी का विक्रय करता हूँ। मेरे द्वारा विक्रय की गई सोपटी जांच रिपोर्ट में किस प्रकार से अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया यह मुझे मालूम नहीं है। मैं छोटा सा दुकानदार हूँ और इसी कार्य को करके अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा हूँ। मेरे विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 577/FSSA/Kota /Act/2018/626 दिनांक 26.10.2018 के बाद खाद्य पदार्थ सोपटी की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जयें पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच नहीं करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच कर्य की गयी, खाद्य पदार्थ सोपटी 1200 ग्राम जांच में अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को जुर्माना राशि 10,000/- रुपये अक्षरे दस हजार रुपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि जयें चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

